न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

अपील सं- 137/2020 GCMS No. - 2020/00173

तारीख हुक्म	अनवान- दलपत सिंह V/S नरपत सिंह वगैराह हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की [redacted] में जारी हुए
06.05.2026	वकुलाय उपस्थित। रेस्पोडेन्ट अभिभाषक ने प्रार्थना–पत्र दिनांक 09.12.2025 को अधीन धारा 135(2) पेश कर यह निवेदन किया कि अपीलांट ने तहसीलदार,रियांबड़ी द्वारा दिनांक 15.07.2029 के आदेश के विरूद्ध न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की हैं। तहसीलदार,रियांबड़ी ने प्रकरण की पत्रावली खोलकर पूर्ण सूनवाई कर आदेश पारित किया है अर्थात् तहसीलदार,रियाबड़ी ने उक्त आदेश दिनांक 15.07.19 धारा 135(2) एल.आर.एक्ट के तहत पारित किया है जिसकी अपील संभागीय आयुक्त के समक्ष ही पेश की जा सकती है अर्थात तहसीलदार द्वारा विवादित नामान्तरकरण प्रकरण में पारित आदेश की प्रथम अपील का क्षेत्राधिकार सम्भागीय आयुक्त/अति0 सम्भागीय आयुक्त को धारा 75(1)(च) में दिया गया है ऐसी स्थिति में न्यायालय हाजा को उक्त अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है इसलिए अपील खारिज की जावे। वकील अपीलांट ने इस प्रार्थना–पत्र का जबाब पेश नहीं कर प्रार्थना–पत्र पर बहस किये जाने का निवेदन करने पर प्रार्थना–पत्र वकील उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। विद्वान वकील प्रार्थी(मूल अपील में रेस्पोडेन्ट) ने बहस में प्रार्थना–पत्र में दर्ज तथ्यों को पुनः दोहराते हुए यह कथन किया कि न्यायालय अपर कलक्टर,नागौर के प्रकरण म्यूटेशन अपील संख्या 48/2017 में पारित निर्णय दिनांक 14.11.2017 से नामान्तरकरण संख्या 1443 पर आदेश निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार,रियाबड़ी को रिमाण्ड किये जाने पर न्यायालय तहसीलदार, रियांबड़ी में प्रकरण दिनांक 27.11.2017 को दर्ज रजिस्टर कर पक्षकारों को विधिवत सुनवाई का अवसर देते हुए प्रकरण में साक्ष्य/सबूतों के आधार पर दिनांक 15.07.2019 को निर्णय किया है। इसलिए इस निर्णय की अपील न्यायालय संभागीय आयुक्त महोदय,अजमेर में पेश करनी होती है। इस अपील को सुनने का अधिकार जिला कलक्टर न्यायालय को नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावे। वकील रेस्पोडेन्ट ने अपने कथनों के समर्थन में RRT 2004(1) पेज 380–381 एवं RRT 2010(2) पेज 1322 की नजीरे पेश कर यह निवेदन किया कि तहसीलदार,रियांबड़ी का आदेश विवादित नामान्तरकरण के सम्बन्ध में दिया गया है, विवादित नामान्तरकरण के आदेश की अपील माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त में पेश की जानी होती है। विद्वान वकील अपीलांट का बहस में कथन है कि मूल रूप से नामान्तरकरण संख्या 1443 में तहसीलदार,रियांबड़ी द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.06.2016 से सम्बन्धित था। तहसीलदार, रियांबड़ी के आदेश दिनांक 28.06.2016 को हमारे द्वारा न्यायालय अपर कलक्टर,नागौर में चुनौती दी गई जिसमें अपील हमारी स्वीकार होकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.06.2016 निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार,रियांबड़ी को रिमाण्ड किया गया था। तहसीलदार,रियांबड़ी ने हमें बिना सुने ही आदेश दिनांक 15.07.2019 को पारित किया है,इसलिए इस न्यायालय में यह अपील पेश की है। मूल नामान्तरकरण संख्या 1443 दर्ज करते समय लिपिकीय गलती हुई जिसे दुरूस्त हेतु मूल अपील हमारी थी,	

कलक्टर नागौर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
[redacted]	इसलिए इसे विवादित नामान्तरकरण नहीं माना जा सकता है। प्रकरण इसी न्यायालय क्षेत्राधिकार का होने से इस प्रकरण में सुनवाई की जाकर मूल अपील में निर्णय पारित किया जावे। बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में न्यायालय अपर जिला कलक्टर, नागौर द्वारा म्यूटेशन अपील संख्या 78/2017 में निर्णय दिनांक 14.11.2017 द्वारा ग्राम टेहला के नामान्तरकरण संख्या 1443 पर तहसीलदार, रियांबड़ी द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.06.2016 को अपास्त कर प्रकरण अधीनस्थ तहसीलदार, रियांबड़ी को प्रति प्रेषित कर यह निर्देश दिये कि रिकार्ड पर दर्ज सभी खातेदारान को नोटिस देकर सुनवाई का पर्याप्त अवसर देते हुए, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रियांबड़ी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.11.15 व डिक्री दिनांक 16.11.15 के प्रकाश में गुणावगुण पर ताजा आदेश पारित करें। न्यायालय अपर कलक्टर,नागौर के उपर्युक्त निर्णय दिनांक 14.11.2017 की पालना में तहसीलदार,रियांबड़ी द्वारा प्रकरण दिनांक 27.11.17 को दर्ज कर समस्त पक्षकारो को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस जारी करने हेतु आदेशित किया है तथा प्रकरण में बाद सुनवाई निर्णय दिनांक 15.07.2019 अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया गया जो दस्तावेज को साबित कर निर्णय पारित किया गया होने से न्यायालय हाजा को हस्तगत राजस्व अपील में सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है। तहसीलदार द्वारा धारा 135(2) के तहत कार्यवाही कर नामान्तरकरण के संबंध में पारित आदेश जैर अपील की प्रथम अपील राज0भू0राजस्व अधिनियम की धारा 75(1)(च) के अन्तर्गत संभागीय आयुक्त/अतिरिक्त संभागीय आयुक्त महोदय के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के प्रावधान है,ऐसे में धारा 135(2) राज0 भू–राजस्व अधिनियम के तहत तहसीलदार, रियांबड़ी द्वारा पारित नामान्तरकरण दर्ज आदेश जैर अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा(कलक्टर) को नहीं है। अतः मूल पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु श्रीमान् संभागीय आयुक्त महोदय,अजमेर को भिजवाई जाती है। प्रकरण में आगामी सुनवाई हेतु 26.05.2026 को न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर में उपस्थित होने हेतु दोनों पक्षो को पाबन्द किया गया। (देवेन्द्र कुमार) कलक्टर,नागौर कलक्टर नागौर	